5

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1302-तीन/2003 - विरूद्ध आदेश दिनांक 6-6-2003 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 227/1998-99 निगरानी

कल्लू पुत्र प्रभू चमार
ग्राम अजलेश्वर
तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर ---आवेदक

विरूद्ध

1- म0प्र0शासन
2- बुन्देल सिंह पुत्र नत्था
ग्राम अजलेश्वर तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर
3- श्रीमती धतियावाई पत्नि तुला
ग्राम भदौरा तहसील गुना जिला गुना --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(शासन के पैनल लायर श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 01-11-2017 को पारित)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 227/1998-99 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-6-2003 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम अजलेश्वर स्थित भूमि सर्वे कमांक 475 रकबा 0.961 हैक्टर का शासकीय अभिलेख में तुला पुत्र लल्लू के नाम दर्ज थी जिस पर लगातार कब्जा करके खेती करना बताते हुये प्रभू पुत्र धसिया निवासी अजलेश्वर ने नायव तहसीलदार ईसागढ़ के समक्ष मौरूषी कास्तकार होने का दावा प्रस्तुत किया। नायव तहसीलदार ईसागढ़ ने प्रकरण कमांक 7 अ 46/1990-91 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 28-11-1991 पारित करके आवेदक को मौरूषी कास्तकार मानकर शासकीय अभिलेख में नाम दर्ज करने के आदेश दिये । नायव तहसीलदार के प्रकरण का अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा परीक्षण करने पर अनियमिततायें पाने के कारण स्वमेव निगरानी कमांक 262/1993-94 पॅजीबद्ध की तथा प्रभू पुत्र धसिया निवासी अजलेश्वर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 20-12-1994 जारी किया (इसी प्रकरण को वाद में कमांक 220/1997-98 पर पॅजीबद्ध किया गया है) में पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 30-3-1999 पारित किया तथा नायव तहसीलदार ईसागढ़ का आदेश दिनांक 28-11-1991 निरस्त कर दिया। अपर कलेक्टर अशोकनगर के इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 227/1998-99 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-6-2003 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव नायव तहसीलदार ईसागढ़ के आदेश दिनांक 28.11.91, अपर कलेक्टर अशोकनगर के आदेश दिनांक 30-3-1999 तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 6-6-2003 में निकाले गये निष्कर्षो से परिलक्षित है कि नायव

तहसीलदार ईसागढ़ के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 190 सहपठित 110 के दावाकर्ता प्रभू ने लगातार कब्जा करके खेती करने चले आने के आधार पर मौरूषी कास्त घोषित कराने एंव नामान्तरण की मांग की है एंव भूमि के मूल कास्तकार द्वारा भूमि पट्ठे पर अथवा उप पट्ठे पर कब प्रदान की है, नहीं बताया है। नायव तहसीलदार द्वारा रिकार्डेड भूमिस्वामी को सूचना पत्र जारी किया है किन्तु सूचना पत्र चस्पीदगी से होने का उल्लेख है एंव एकपक्षीय कार्यवाही अंकित की है। नायव तहसीलदार की एक आर्डरशीट में उभय पक्षों की उपस्थिति भी अंकित है जबकि मूल भूमिस्वामी तुला पुत्र लल्लू के उपस्थिति के हस्ताक्षर अथवा नि.अंगूठा आर्डरशीट पर नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 6-6-2003 के पृष्ट तीन पर इस प्रकार विवेचना कर निष्कर्ष दिया गया है -

" इस न्यायालय में जो निगरानी कल्लू पुत्र प्रभू द्वारा प्रस्तुत की गई, उसमें यह व्यक्त किया गया कि तुला का कोई वारिस नहीं है और इसलिये कोई वारिस रिकार्ड में लाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जबकि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर के प्रकरण से स्पष्ट है कि तुला की मृत्यु के पश्चात उसका नाती बुन्देल सिंह है । पटवारी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके अनुसार तुला की मृत्यु के पश्चात् उसकी वारिस पत्नि धतियावाई निवासी भदौरा है। इस प्रकार प्रकरण से यह स्पष्ट है कि मूल भूमिस्वामी तुला व उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसों को किसी भी स्तर पर अपने पक्ष समर्थन का कोई अवसर नहीं दिया गया। मूल भूमिस्वामी तुला को सुनवाई का अवसर दिये वगैर नायव तहसीलदार द्वारा पारित आलोच्य आदेश 28-11-91 किसी भी प्रकार से विधिसंगत नहीं कहा जा सकता। नायव तहसीलदार के वर्णित प्रकरण में कार्यवाही भी संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं की है। "

मूल भूमिस्वामी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नायव तहसीलदार ईसागढ़ ने आदेश दिनांक 28-11-1991 पारित करके संहिता की धारा 190 के अंतर्गत आवेदक को मोरूषी कास्तकार के स्वत्व उत्पन्न होना मानकर वाद विचारित भूमि पर नामान्तरण किया है। **माननीय उच्च न्यायालय का पार्वतीवाई बनाम ओंकार नारायण 1990 रा0नि0 377 में न्याय दृष्टांत है कि मूल**

भूमिस्वामी को सूचना दिये बिना तहसीलदार द्वारा अन्य व्यक्ति को मौरूषी के रूप में भूमिस्वामी घोषित किये जाने का आदेश मूल भूमिस्वामी पर आबद्धकार नहीं है। नायव तहसीलदार द्वारा प्रकरण में की गई अनियमितताओं को विचार में लेकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 227/1998-99 निगरानी में विस्तृत विवेचना करते हुये आदेश दिनांक 6-6-2003 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 227/1998-99 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-6-2003 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर